THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

1 BHADRA, 1944 (S)

No. 412

RANCHI, TUESDAY 23rd AUGUST, 2022

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

23rd August, 2022

Notification No.- 5/2022 – State Tax(Rate)

S.O. No. 26, Dated 23rd August, 2022-- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.13/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 43, dated the 29th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(1) against serial number 1,in column (2), -

(a) the words, figures and symbols “who has not paid state tax at the rate of 6%,” shall be omitted;

(b) after the proviso the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that nothing contained in this entry shall apply where, -

i. the supplier has taken registration under the JGST Act, 2017 and exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge; and

ii. the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging State Tax at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in Annexure III on such invoice issued by him.”;

(2) against serial number 5, in column (2), in the sub-clause (2), in item (i), the words “by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Central Government, State Government or Union territory or local authority” shall be omitted;

(3) after serial number 5Aand the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“5AA	Service by way of renting of residential dwelling to a registered person.	Any person	Any registered person.”;

(4) after Annexure II, the following annexure shall be inserted, namely: -

“Annexure III

Declaration

I/we have taken registration under the JGST Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the Financial Year _____ under forward charge.”.

II. This notification shall be deemed to be effective from the 18th July, 2022.

[File. No. VaKar/GST/02/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: -The principal notification no. 13/2017 -State Tax (Rate), dated the 29thJune, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 43, dated the 29th June, 2017 and was last amended vide notification no. 29/2019 - State Tax (Rate), dated the 11th March, 2020 published in the Gazette of Jharkhand *vide* S.O. No. 15, dated the 11th March, 2020.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 5/2022- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 26, दिनांक 23 अगस्त, 2022--झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार ,वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2017/13 -राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 43, दिनांक 29 जून, 2017, के तहत झारखण्ड के राजपत्र असाधारण ,में प्रकाशित किया गया था,में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती हैं, यथा-:

उक्त अधिसूचना में ,सारणी में-,

1) क्रम संख्या 1के समक्ष,कॉलम (2) में-,

(क) शब्द ,अंक और प्रतीक "जिसने 6 प्रतिशत की दर से राज्य कर का का भुगतान नहीं किया है "को निरसित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा ,यथा-:

"बशर्ते और भी कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी, जहां,-

iii. आपूर्तिकर्ता ने जेजीएसटी अधिनियम 2017 ,के अंतर्गत पंजीकरण कराया हो और फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया हो ,और

iv. आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता को लागू दरों पर राज्य कर लगा कर इनवॉयस जारी किया हो, और अपने द्वारा जारी ऐसे इनवॉयस के बारे में अनुबंध IIIमें यथानिर्धारित घोषणा की हो।;"

2) क्रम संख्या 5के समक्ष ,कॉलम (2)में ,उपवाक्य ,(2)मद (i) को शब्द और प्रतीक (i)"डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराइ जाने वाली सेवाएं "से प्रति स्थापित किया जायेगा। "

3) क्रमांक 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात ,निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां को अंत:स्थापित किया जाएगा ,यथा-:

(1)	(2)	(3)	(4)
5"कक	किसी पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय भवनों को किराए पर देने के माध्यम से दी गई सेवा।	कोई भी व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति।;"

4) अनुलग्नक IIके बाद ,निम्नलिखित अनुलग्नक को अन्तः स्थापित किया जाएगा ,यथा-:

"अनुलग्नक III

घोषणा

मैंने/हमने जेजीएसटी अधिनियम 2017 ,के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष ______के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।."

II. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/02/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक,

सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग।

नोट :प्रधान अधिसूचना संख्या -2017/13राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, को एस. ओ. सं. 43, दिनांक 29 जून 2017 ,के तहत झारखण्ड के राजपत्र ,असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या -2019/29राज्य कर (दर), दिनांक 11 मार्च, 2020 एस. ओ. सं. 15, दिनांक 11 मार्च, 2020 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 412 -- 50